BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 23 अगस्त 2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या के 04 आरोपियो को सश्रम आजीवन कारावास व 40-40 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्त 1. सौरभ कुमार पुत्र शलैय सिंह, 2. नेत्रपाल उर्फ नेता पुत्र जिले सिंह, 3. कपिल पुत्र धर्मपाल निवासीगण खालौर थाना जहांगीराबाद जनपद बुलन्दशहर, 4. मुकेश कुमार पुत्र उदयवीर सिंह निवासी डेटाखुर्द थाना पिसावा जनपद अलीगढ़ द्वारा वर्ष-2020 में गांव खालौर निवासी हृदेश उर्फ छोटू की गोली मारकर हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी। जिसके संबंध में दिनांक 01.11.2020 को थाना जहांगीराबाद पर मुअसं–531/2020 धारा 302/120बी भादवि पजीकृत किया गया तथा दिनांक 06.02.2021 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्तों के विरुद्ध 12 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 23.08.2024 को न्यायाधीश श्री अभिमन्यु सिंह (मा0 न्यायालय एडीजे–04 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त 1. सौरभ कुमार, 2. नेत्रपाल उर्फ नेता, 3. कपिल व 4. मुकेश कुमार को आजीवन सश्रम कारावास व 40-40 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री चन्द्रभान सिंह का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सेल, बुलन्दशहर